

Please Issue  
RTI  
8/5/2013

RTI MATTER

MOST URGENT

Speed Post (8)

No.11011/65/2012-NE-V  
Government of India  
Ministry of Home Affairs

Dated the 7<sup>th</sup> May, 2013

To

✓ Shri Rohit Pathak,  
S/o Shri Jagroshan Pathak,  
C/o Prision Superintendent,  
District Prision Karnal, Karnal (Haryana)

Subject: Information under RTI Act, 2005

Sir,

I am directed to refer to your RTI application on the above subject received in the Ministry on 18.4.2013 and received from RTI Section of MHA on 29.4.2013 and to send herewith Part information on Sl. No. 3 of your application as below:

A copy of the AFSPA Act is enclosed which contains the reasons for its enactment So far as North Eastern region is concerned AFSPA is presently imposed in, entire State of Assam and Nagaland, Tirap, Changlang & Longding districts of Arunachal Pradesh, 20Km wide belt bordering Assam in the state of Arunachal Pradesh and Meghalaya, the entire State of Manipur excluding Imphal Municipal Area, part of Tripura as notified by the State Government. The special power conferred under the Act on the armed forces personal are exercisable in an area declared as disturbed area. If the Governor of the State or the Administrator of the Union Territory or the Central Government, as the case may be, is of the opinion that the whole or any part of such State or Union territory, is in such a disturbed or dangerous condition that the use of armed forces in aid of the civil power is necessary, then they can declare such State/ area as 'disturbed area' for the purpose of this Act,

2. As regards the remaining information sought for in point No.3 of your application, it is informed that innocent civilians are not killed under the Act. However, the special powers conferred by the Act has a salutary effect on controlling militancy in the North East. Details of Extremists killed in the North East in the last 6 years are as under:-

Years	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Extremists killed	514	640	25	247	114	222

Yours faithfully,

(G. Sridharan)

Deputy Secretary to the Government of India

Copy to :

1. Shri Surojit Ghos, Under Sectetary, RTI, MHA, w.r. to O.M. No. A-48020/01/2013-RTI, dated 23.4.2013.

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

\*\*\*

नई दिल्ली, दिनांक : २३/५/ 2013

कार्यालय जापन

१०१ रोड़ेट पाठ्य

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत श्री/श्रीमती/सुश्री.....का आवेदन।

\*\*\*\*\*

अधोहस्ताक्षरी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना मुहैया कराने के संबंध में श्री/श्रीमती/सुश्री.....रोड़ेट पाठ्य.....के दिनांक: ११/५/2013 के आवेदन (इस मंत्रालय में १२ ता १५ अप्रैल २०१३) से अंतरण द्वारा दिनांक: १४/५/2013 को प्राप्त) को.....(एन.ई.).....प्रभाग को अग्रेषित करने का निदेश हुआ है, क्योंकि मांगी गई सूचना उक्त प्रभाग के क्रियाकलापों से संबंधित है/निकट रूप से संबंध रखती है। यह अनुरोध किया जाता है कि यदि विषय-वस्तु का संबंध किसी अन्य केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से है, तो आवेदक को सूचित करते हुए आवेदन को सीधे उस प्राधिकारी को अग्रेषित/अंतरित कर दिया जाये।

2. आवेदक ने 10/- रु. का निर्धारित शुल्क (दिनांक: ११/५/2013 की रसीद दुष्क्रान्ति) के तहत जमा कर दिया है (संलग्न)। नहीं किया है क्योंकि वह की पी एल श्रेणी से संबंध रखता/रखती है।

संलग्नक : यथोपरि

लिखा-

AFSPA लिखित  
प्राप्ति दर्शाना-३ के तहत  
के लिए प्राप्ति।

(सुरोजित घोष)  
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में  
रोड़ेट पाठ्य (एन.ई.-I).  
रोड़ेट मन्त्रालय  
नियम उल्लंघन नियमित

२४/५/२०१३  
२३/५/४  
DS/NE/II  
SO(N.E.V)

प्रति सूचनार्थ प्रेषित  
श्री/श्रीमती/सुश्री.....रोड़ेट पाठ्य  
पुत्र श्री जगराशन पाठ्य  
पर्याय पाल डाक्टर पाठ्य  
जिला जल संरक्षण (दावियाला)

(उनसे अनुरोध है कि इस मामले में अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने के लिए ऊपरवर्णित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से संपर्क करें।)

No. 21(3))/2013(563)/D(RTI)  
Government of India  
Ministry of Defence

2542/RTI/2013  
22/4/13

84  
13 APR 2013

Sena Bhawan, New Delhi  
New Delhi, 16<sup>th</sup> April, 2013

Office Memorandum

Subject :-Seeking Information under RTI Act 2005

RTI application dated 01.04.2013 of Shri Rohit Pathak Karnal,(Haryana) has been transferred to the Ministry of Defence by PMO vide their O.M.No.RTI/1650/2013-PMR dated 9.4.13 for providing the information in respect of point No.3 of the application.

2. The information sought by the applicant at point No.3 is more closely related to **Ministry of Home Affairs(MHA)**. Therefore, the RTI application of Shri Rohit Pathak is transferred to the MHA under section 6(3) of RTI Act 2005, for necessary action.

Rajesh Choudhary  
(Rajesh Choudhary)  
Under Secretary to the Govt. of India

To

RTI Cell  
Ministry of Home Affairs,  
North Block,  
New Delhi

Copy to:-  
RTI Cell  
Prime Minister's Office  
South Block  
New Delhi

also  
Copy to:- Mr. Rohit Pathak  
S/o Sh. Jagroshan Pathak  
C/o Prison Superintendent,  
Distt.Prison Karnal,  
Karnal(Haryana)

Further correspondence on the subject may please be made  
with the above mentioned CPIO/CPIOs Public Authorities.

## प्रधान मंत्री कार्यालय

संख्या आरटीआई/1650/2013-पीएमआर

साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली-110 011

दिनांक: ०९.०५.२०१३

## कार्यालय ज्ञापन

विषय: - सूचना का अधिकार के तहत आवेदन-पत्र

- उपर्युक्त विषय पर श्री रोहित पाठक से प्राप्त दिनांक 1.4.2013 का आवेदन-पत्र, जो इस कार्यालय में दिनांक 8.4.2013 को प्राप्त हुआ है, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत यथोचित कार्रवाई हेतु अंतरित किया जा रहा है।
2. आवेदक से आवेदन-शुल्क प्राप्त हो गया है।

८४१८३७  
(संयोग इकराम रिजिस्ट्री)

उप सचिव एवं

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

फ़ॉन्स: 2307 4072

✓SC(CW)

1. रक्षा सचिव, रक्षा मंत्रालय  
साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली
  2. सचिव, भारत सरकार  
उच्चतर शिक्षा विभाग  
शास्त्री भवन, नई दिल्ली
  3. सचिव, भारत सरकार  
डाक विभाग, डाक भवन, नई दिल्ली
  4. सचिव, रेलवे बोर्ड  
रेल मंत्रालय, नई दिल्ली
- प्रति- (रजिस्टर्ड पोस्ट एडी. द्वारा)

बिंदु संख्या 3 के संबंध में

बिंदु संख्या 1 और 2 के संबंध में

बिंदु संख्या 6 के संबंध में

बिंदु संख्या 5 के संबंध में

श्री रोहित पाठक  
पुत्र श्री जगरोशन पाठक  
द्वारा जेल अधीक्षक  
जिला जेल करनाल  
हरियाणा

कृपया आप इस संबंध में आगे सूचना हेतु उपरोक्त लोक प्राधिकरणों से संपर्क करें। बिंदु संख्या 4 के संबंध में आपको सूचित किया जाता है कि इस संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) में उल्लेख है कि किसी भी प्रकार की सूचना चाहने वाला व्यक्ति संबंधित लोक प्राधिकरण के लोक सूचना अधिकारी से अनुरोध करेगा। अधिनियम की धारा 6(3) अनुसार जहाँ कोई आवेदन किसी लोक प्राधिकारी को किसी ऐसी सूचना के लिए अनुरोध किया जाता है जो किसी दूसरे लोक प्राधिकरण द्वारा धारित हो या जिसकी विषय-वस्तु किसी दूसरे लोक प्राधिकरण के कृत्यों से निकटतर रूप से संबंधित है, वहाँ वह लोक प्राधिकारी, जिसको ऐसा आवेदन किया जाता है, ऐसे आवेदन या उसके ऐसे भाग को, जो समुचित हो, उस दूसरे लोक प्राधिकरण को अंतरित करेगा और ऐसे अंतरण के बारे में आवेदक को तुरन्त सूचना देगा। इस संबंध में आपको द्वारा चाही गई जानकारी एक से अधिक दूसरे लोक प्राधिकरणों से संबंधित है। अतः आपको सलाह दी जाती है कि सूचना प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मंत्रालय के संबंधित लोक प्राधिकारियों को अलग-अलग आवेदन करें।

केन्द्र सरकार के विभिन्न वेबसाइट संबंधी जानकारी हेतु भारत सरकार के इन्टरनेट वेबपेज <http://india.gov.in/directories.php> या [www.goidirectory.nic.in](http://www.goidirectory.nic.in) पर संपर्क किया जा सकता है।

राज्य सरकार से संबंधित बिंदु संख्या 7 के संबंध में आपको सूचित किया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) में उपबंध है कि किसी भी प्रकार की सूचना चाहने वाला व्यक्ति संबंधित लोक प्राधिकरण के लोक सूचना अधिकारी से अनुरोध करेगा। आपने अपने आवेदन-पत्र के संबंध में जो सूचना चाही है वह राज्य सरकार से संबंधित है। यदि आप चाहे तो सूचना हेतु राज्य सरकार से संपर्क कर सकते हैं।

रक्षा मंत्रालय (खण्ड ०)  
Ministry of Defence (Sectt.)  
रक्षा (सूचना का अधिकार) अधिभाग  
Defence (Right to Information) Section  
डायरी नं. ....  
Dy. No. .... 563 ....  
दिनांक .....  
Date. 16/4/13

Div (Control)

V.1.2  
12.4.13

US (Control)

12.4.13

SO (RTI)

26/85  
12-U-13From 10 MTR  
12 PM to 12 PM

1650/13 - 8 APR 13

1659

1014

PRICE

86

- 8 APR 2013

श्रीय लोक संचान आदित्यारी  
प्रशान्तमन्त्री वॉर्गेलभु  
नई दिल्ली।

सुनचना ओं आदित्यार एवं तहत अधिकार - पत्र।

1650/13

1659

1014

शाखिलग्र निवेदन भव है कि मुझे निम्नलिखित जानकारियाँ / दस्तावेज़ आते - श्रीम  
भैजने ओं बाबू जैरे:

- (1) किसी दंडन लिखित पुस्तक ओं प्राप्तिराइट व्हायरी टॉर से कौसे प्राप्त  
किया जा सकत है और उसे कौसे रखरिए आ कैना जाता है ?
- (2) International Standard Book Number (I.S.B.N.) प्राप्त बारे ओं की पुस्ती  
इकाया बताएँ !
- (3) Armed Forces Special Power Act (A.F.S.P.A.) क्या है ? भव बाबू - 2  
लागू है और कितने बोल्सुर आक्षय इराने बारे आ चुके हैं ?  
इसकी लागू बारे क्या - 2 बारण है ?

(4) शायदीम दृष्ट पर बारे बारे की लिपि जानकारी सोसायरी (गैर सरलारी) की  
पंजीकरण की पुरी प्रक्रिया हिंदी में बताएँ। इस दृष्टार बारी सोसायरी की पंजीकरण  
हैत इन्ही भाषा में भेज गए लिंग्सी उक अधिकार बारी कीटबारी थोड़े विसला  
पंजीकरण हाल ही में ही चुला हो !

- (5) 1950 से 2013 सन तक बाबू - 2 वर्ष इलाजा की दीरण / बाबू - 2 प्राप्तियाँ 20  
लड़ली हैं दरवाजी, मार-पीट, जानलेण इमला, लूट, डैकली, हृत्या व ललात्पार आ  
बिनार है ? अलग - 2 बाल संख्याएँ बताएँ। (संमूण भारत में)
- (6) सेमरत भारत के समस्त होड़ - बड़े डाकखानों में लड़ी परिवो व कुलरों की  
बाल संख्या बताएँ।
- (7) पुस्तक के प्राप्ताशन पर बाबू - 2 विक्रि (Sell) रैक्स भरना पड़ता है ?

जीट: (i) आश०ठ० आई० एक्ट जो अनुसार अधिकार शुल्क की लिपि दस (10) रुपए का  
प्रेस्टल आईर साध में सलेञ्ज है। विसका नं. - 12F 132472 है।  
(ii) बूप्या सभी जानकारियाँ/दस्तावेज़ द्यीड प्रेस्ट से भेजे।  
(iii) देशभार व जानकारियाँ में हृदी भाषा का प्रयोग करें।

जयहिन्द!

AS(A)

JS(6)

दिनांक: 1 अप्रैल, 2013.

स्थान: जिला जैल बरनाल।

अधिकार,

फूहित बातक।

शोहित प्राप्तक 5% प्राप्तिशान प्राप्तक  
(लेश्वक)

C/o जैल उद्योगक,

जिला जैल बरनाल,  
बरनाल (हरियाणा)।

Reg. No. 12F 132472 पर 10/-

VSC (Second)

URGENT
RTI ACT
Diary No. 8644 & Date 08.04.13